तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20-6-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित आदेश-22 नियम-4 के प्रा० पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रतिवादी हरिशंकर के विरुद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। वाद पत्र में प्रतिवादी हरिशंकर के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई सहायता की मांग नहीं की है ऐसी स्थिति में वादी प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र का कोई औचित्य नहीं है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत प्रा० पत्र O-22 R-4 खारिज किया जाता है। पत्रावली बहस आगामी दिनांक 11-7-24 को पेश हो।
11-7-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18-7-24 को पेश हो।
23-7-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली आज आदेश सुनाये जाने हेतु पेश हुई। वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नाडोली (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

दावा संख्या 22/2012
दायरा दिनांक 11.04.2012

पीठासीन अधिकारी
श्री कैलाश चन्द गुर्जर(RAS)

बउनवान

बृजमोहन आ0 देवा जाति कुम्हार निवासी ग्राम कांकरामेज हाल निवासी देईखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. दयाचन्द आ0 केदार जाति मीणा निवासी ग्राम कांकरामेज हाल निवासी बड़ाखेड़ा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. हरिशंकर आ0 देवा जाति कुम्हार निवासी पट्रोल पम्प के पास रजोदा रोड़ इटावा जिला कोटा, राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वाद – स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 आ0टी0एक्ट
आदेश 7 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

अधिवक्ताः– 1. श्री कृष्ण दत्त दाधीच (अधिवक्ता वादी)
2. श्री आर0के0 जैन (प्रतिवादी सं 1)

निर्णय दिनांकः–23.07.2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाद द्वारा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 444 रकबा 0.40है0, खसरा संख्या 577 रकबा 1.28है0कुल किता 2 कुल रकबा 1.68है0 वाके ग्राम कांकरामेज तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है। यह भूमि वादी को राज्य सरकार द्वारा आवंटित कर कब्जा संभलाया था।

यह कि कृषि भूमि खसरा संख्या 212 रकबा 0.06है0, खसरा संख्या 576 रकबा 1.11है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.17है0 वाके ग्राम कांकरा मेज तहसील इन्द्रगढ़ में वादी एवं प्रतिवादी सं 2 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 निहित है। वाद वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 577 के आधे हिस्से में एवं सहखातेदारी में दर्ज कृषि भूमि के आधे हस्से पर वादी द्वारा फसल बो रखी है।

यह कि प्रतिवादी सं 1 आये दिन उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहता है इसी उद्देश्य से दिनांक 29.02.2012 को प्रतिवादी सं 1 ने वादी को धमकी दी कि मैं कब्जा करूंगा तथा खेत में खड़ी फसल को भी काटूंगा। यही वाद का करण है। प्रतिवादी सं 1 व 2 आपस में मिलकर प्रतिवादी सं 2 की भूमि का बंटवारा करवाये बिना अपने हिस्से को रहन व बेचान करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण अपने मन्सूबों में कामयाब हो गये तो वादी को अपार एवं अनुचित

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

हानि होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादी सं 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करें कि वह वादी के स्वामित्व एवं कब्जे की वाद वर्णित कृषि भूमि में निहित अपने हिस्से पर वादी के शान्त एवं कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें न ही अन्य से करावे। वाद कारण अन्तिम बार दिनांक 29.02.2011 व 1.03.2012 को प्रतिवादीगण द्वारा भूमि पर कब्जा करने की धमकी देने व रहन बय करने की धमकी देने पर पैदा हुआ इस कारण प्रावधानों के अनुसार अवधि मध्य पेश है। अन्त में वादी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रतिवाद सं 1 के विरूद्ध इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वाद वर्णित कृषि भूमि में निहित वादी के 1/2 हिस्से की कृषि भूमि पर वादी के शान्त एवं वैध कब्जे में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न स्वयं करें न अन्य से करावें। प्रतिवादी सं 2 के विरूद्ध इस आश्य की निषेधाज्ञा प्रदान की जावे कि वह बिना बंटवारा कराये वादी की सहखातेदारी में अंकित कृषि भूमि के किसी भी भू भाग को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द नहीं करें न ही रहन अथवा बय करें न ही किसी अन्य से करावें।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं 2 अनुपस्थित रहने उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी सं 1 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद के चरण संख्या 1 में वर्णित कुल कृषिभूमि किता 2 कुल रकबा 1.68है0 ग्राम कांकरामेज तहसील इन्द्रगढ़ पर कभी भी वादी को उक्त भूमि का कब्जा नहीं सम्भलाया गया। प्रतिवादी दायाचन्द द्वारा वादी व हरिशंकर को किये गये आवंटन के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी महोदय, कोटा के न्यायालय में अपील पेश कर रखी है जो विचाराधीन है। वादी का खसरा संख्या 577 के किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा नहीं है बल्कि प्रतिवादी के पिता केदार जी के समय से ही पिछले 50 वर्षों से प्रतिवादी व उनके पिता का कब्जा है प्रतिवादी सं 1 कब्जे के आधार पर उक्त भूमि का स्वामी खातेदार बन गया है। वादी व प्रतिवादी सं 2 का चरण संख्या 1 में अंकित कृषिभूमि पर किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं है। कब्जे के अभाव में वादी का स्थायी निषेधाज्ञा का वाद चलने योग्य नहीं है। अन्त में निवेदन किया कि वादी का वाद मय हर्जाना खारिज किया जावे। उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर तनकी कायम की गई तत्पश्चात् पत्रावली में उभयपक्षों के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में बृजमोहन पीडब्लू 1 का साक्ष्य शपथ पत्र पेश हुआ। प्रतिवादी सं 1 के अधिवक्ता ने वादी बृजमोहन से जिरह की गई। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी प्रदर्श–1 सम्वत् 2066–69 ग्राम कांकरामेज खाता संख्या 140, प्रदर्श–2 सम्वत् 2066–69 ग्राम कांकरामेज खाता संख्या 80 प्रदर्श करवाये। साक्ष्य प्रतिवादी में डी0 डब्लू 1 दयाचंद का साक्ष्य शपथ पत्र पेश हुआ। प्रतिवादी सं 1 से वादी अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई जिरह समाहत पत्रावली की गई। प्रतिवादी सं 1 ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 नकल निर्णय दिनांक 26.02.2013 न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी, प्रदर्श–2 तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा जिला कलक्टर महोदय बून्दी को आवंटन निरस्ती की पत्रावली सरकार बनाम ब्रजमोहन प्रदर्श–3 तहसीलदार इन्द्रगढ़ के पत्र की सत्यापित प्रतिलिपी प्रदर्श करवाये।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवाद सं 1 के विरूद्ध इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वाद वर्णित कृषि भूमि में निहित वादी के 1/2 हिस्से की कृषि भूमि पर वादी के शान्त एवं वैध कब्जे में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न स्वयं करें न अन्य से करावें। प्रतिवादी सं 2 के विरूद्ध इस आश्य की निषेधाज्ञा प्रदान की जावे कि वह बिना बंटवारा कराये वादी की सहखातेदारी में अंकित कृषि भूमि के

उपखण्ड अधिकारी
लाडेरी (बून्दी)

किसी भी भू भाग को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द नहीं करें न ही रहन अथवा बय करें न ही किसी अन्य से करावें। वादी अधिवक्ता ने अपने वाद के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRC 1994 Page no. 379, RBJ 2009 Page no. 351, RBJ 2018 Page no. 680, RBJ 2018 Page no. 299 पेश किए। प्रतिवादी सं 1 के अधिवक्ता ने वादी की बहस का कडा विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादी का खसरा संख्या 577 के किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा नहीं है बल्कि प्रतिवादी के पिता केदार जी के समय से ही पिछले 50 वर्षों से प्रतिवादी व उनके पिता का कब्जा है प्रतिवादी सं 1 कब्जे के आधार पर उक्त भूमि का स्वामी खातेदार बन गया है। वादी व प्रतिवादी सं 2 का चरण संख्या 1 में अंकित कृषिभूमि पर किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं है। कब्जे के अभाव में वादी का स्थायी निषेधाज्ञा का वाद चलने योग्य नहीं है। अन्त में निवेदन किया कि वादी का वाद मय हर्जाना खारिज किया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज, जवाब व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया हमारे द्वारा तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जा रहा है–

1. आया वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी वादी को आवंटित कर कब्जा संभलाया था ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था इस तनकी की रोशनी में पत्रावली में वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2069 वाके ग्राम कांकरामेज खाता संख्या 140 पुराना 139 खसरा संख्या 444 रकबा 0.40है0, खसरा संख्या 577 रकबा 1.28है0 का अवलोकन किया गया जिसमें वादी बृजमोहन पुत्र देवा जाति कुम्हार का नाम बतौर गैर खातेदार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है। उक्त जमाबंदी में नमान्तकरण संख्या 110 दिनांक 31.01.2012 में ख.सं. 577 में से 0.64 है0 पर खातेदारी दर्ज करने की स्वीकृती मिलने का नोट अंकित है। वादी द्वारा जिरह बयान से यह स्पष्ट है कि वादी विगत 20 वर्षों से गांव में निवास नहीं करता है विवादित जमीन पर विगत 3–4 वर्षों से प्रतिवाद दयाचंद जबरदस्ती खेती कर रहा है तथा बयान यह भी अंकित किया गया है विवादित जमीन को मैं भी हांकता हूं आरै प्रतिवादी सं 1 भी हांकता है। मुझे आवंटित 10 बीघा 18 बिस्वा जमीन में से 2 बीघा दयाचंद हांकता है। यह भी बयान में अंकित है आवंटित जमीन के संबंध में अपील विचाराधीन है इसकी वादी को जानकारी है। वादी ने वाद वर्णिज कृषि भूमि पर स्वयं के कब्जे काश्त के संबंध में कोई पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में पेश नहीं किए है। प्रतिवादी सं 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–1 के अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि तहसील द्वारा इन्द्रगढ़ द्वारा दिनांक 14.02.2012 में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बून्दी को प्रस्तुत रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि वादी बृजमोहन आ0 देवा जाति कुम्हार निवास कांकरामेज को दिनांक 18.11.1975 को आवंटित भूमि जिसके हाल खसरा संख्या 444 रकबा 0.40है0, खसरा संख्या 577 रकबा 1.28 है0 कुल रकबा 1.68है0 पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं जिससे आवंटन निरस्त योग्य है। उक्त तथ्यों के अनुसार प्रतिवादी सं 1 का वाद पत्र के जवाब में किए गए कथन को बल मिलता है कि वादी का आवंटित जमीन पर कब्जा काश्त नहीं है साथ ही वादी कोई ऐसा दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है कि जिसके आधार पर तनकी वादी के पक्ष में तय की जा सके। वादी तनकी बिन्दू सं 1 को साबित करने में असफल रहे है।

2. आया वाद पत्र की चरण सं 2 में वर्णित आराजी के 1/2 हिस्से पर वादी खातेदार होकर काबिज काश्त है।

वादी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2069 वाके ग्राम कांकरामेज खाता संख्या 80 पुराना 79 का अवलोकन किया गया खसरा संख्या 212 रकबा 0.60है0, खसरा संख्या 576

उपखण्ड अधिकारी

रकबा 1.11है0 का जिसमें वादी व प्रतिवादी सं 2 का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में अंकित है। वादी द्वारा दर्ज कराये गये बयानो में यह अंकित किया गया है कि खातेदारी सामलाती जमीन पर हरिशंकर व दयाचन्द खेती करते है मैं तो मेरी हिससे की जमीन पर करता हूं। प्रतिवाद सं 1 ने अपने बयानों में खसरा संख्या 576 कल्याण से खरीद की है संबंधी तथ्यों का अंकन किया किन्तु जवाब दावे में इसका जिक्र नहीं किया गया न ही प्रतिवादी ने इसके संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए है। प्रतिवादी सं 1 ने अपने जवाब में चरण सं 2 में वर्णित कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादी सं 2 की सहखातेदारी में दर्ज होना स्वीकार किया है। उक्त तथ्यों से यह साबित होता है वाद पत्र की चरण सं 2 में वर्णित कृषि भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा निहित है। तनकी पत्रावली में उपस्थित दस्तावेजों के आधार पर वादी के पक्ष तय की जाती है।

3. आया वादी प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

उक्त तनकी कानूनी होने से पत्रावली में उपस्थित दस्तावेज व जवाद दावा का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वाद के चरण संख्या 1 वर्णित कृषि भूमि जो वादी के नाम आवंटित हुई है उसके सम्पूर्ण भाग पर वादी का कब्जा नहीं है। उक्त भूमि पर कब्जे के संबंध में स्वयं वादी ने अपने बयानों मे भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि विवादित जमीन पर विगत 3–4 वर्षो से प्रतिवाद दयाचंद जबरदस्ती खेती कर रहा है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा दिनांक 14.02.2012 में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बून्दी को प्रस्तुत रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि वादी बृजमोहन आ0 देवा जाति कुम्हार निवास कांकरामेज को दिनांक 18.11.1975 को आवंटित भूमि जिसके हाल खसरा संख्या 444 रकबा 0.40है0, खसरा संख्या 577 रकबा 1.28 है0 कुल रकबा 1.68है0 पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं जिससे आवंटन निरस्त योग्य है जिसका कोई खण्डनात्मक साक्ष्य वादी द्वारा पेश नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण के संबंध में की गई कार्यवाही की वर्तमान स्थिती से संबंधित कोई दस्तावेज वादी द्वारा पत्रावली में पेश नहीं किया गया है। इसी प्रकार चरण सं 2 वर्णित कृषि भूमि जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2069 वाके ग्राम कांकरामेज खाता संख्या 80 पुराना 79 के अनुसार खसरा संख्या 212 रकबा 0.60है0, खसरा संख्या 576 रकबा 1.11है0 जिसमें वादी व प्रतिवादी सं 2 हरिशंकर का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में अंकित है जिससे उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं 2 हरिशंकर का भी 1/2 हिस्सा निहित है जिससे उक्त कृषि भूमि में उसके भी खातेदार अधिकार जुड़े हुए है। अतः उक्त तनकी वादी अपने पक्ष में तय करने में असफल रहा है।

4. आया वाद पत्र की चरण सं 1 में वर्णित आराजी पर पिछले 50 वर्षो से प्रतिवादी व उसके पिता का कब्जा काश्त है।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था इस तनकी की रोशनी में वादी एवं प्रतिवादी सं 1 द्वारा लेखबद्ध करवाये गये बयानों व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें प्रतिवादी सं 1 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि वाद वर्णित चरण संख्या 1 की सम्पूर्ण आराजी पर प्रतिवादी सं 1 दायाचन्द का पैतृक समय से पिछले 50 वर्षो से भी अधिक समय से वादी एवं वादी के पिता का कब्जा रहा है। प्रतिवादी सं 1 ने अपने बयानों में यह अंकित किया है ब्रजमोहन को आवंटित जमीन में से रकबा 1.28है0 जमीन पर खातेदारी दी गयी है किन्तु उसका कब्जा नहीं है इसको साबित करने के लिए प्रतिवादी सं 1 पत्रावली में दस्तावेज प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 पेश किए है जिसके अवलोकन करने से प्रतिवादी सं 1 के कथन को बल मिलता है। वादी बृजमोहन ने भी अपने लिखित बयानो में इस बात का जिक्र किया है कि मुझे आवंटित 10 बीघा 18 बिस्वा जमीन में से 2 बीघा दयाचंद हांकता है। प्रतिवादी सं 1 द्वारा उक्त तनकी के संबंध में कोई ऐसा लिखित दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं

उपखण्ड अधिकारी
नारोली (बूंदी)

किया जिससे यह साबित होता है कि पिछले 50 वर्षों से आवंटित जमीन पर उसका कब्जा काश्त हो किन्तु पत्रावली में लिखित बयानों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त आवंटित जमीन में प्रतिवादी सं 1 दयाचंद का कब्जा है कितने भू भाग पर यह स्पष्ट नहीं है। तनकी प्रतिवादी सं 1 के पक्ष में आंशिक तय की जाती है।

5. आया कब्जे के अभाव में वादी का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा चलने योग्य नहीं है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था इस तनकी के प्रकाश में प्रतिवादी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 पेश किए है जिसमें तहसील द्वारा इन्द्रगढ़ द्वारा दिनांक 14.02.2012 में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बून्दी को प्रस्तुत रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि वादी बृजमोहन आ0 देवा जाति कुम्हार निवास कांकरामेज को दिनांक 18.11.1975 को आवंटित भूमि जिसके हाल खसरा संख्या 444 रकबा 0.40है0, खसरा संख्या 577 रकबा 1.28 है0 कुल रकबा 1.68है0 पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं जिससे आवंटन निरस्त योग्य है। तनकी प्रतिवादी सं 1 मौखिक साक्ष्य व प्रस्तुत दस्तावेज से साबित करने में सफल रहा।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन करने पर यह स्पष्ट है कि वादी बृजमोहन आ0 देवा जाति कुम्हार निवास कांकरामेज को आवंटित कृषि भूमि जिसके हाल खसरा संख्या 444 रकबा 0.40है0, खसरा संख्या 577 रकबा 1.28 है0 कुल रकबा 1.68है0 पर सम्पूर्ण भू भाग पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है वादी ने भी अपने कथनों में इस बात का उल्लेख किया है जिससे वादी का उक्त कृषिभूमि पर कब्जे के अभाव में तथा चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2069 वाके ग्राम कांकरामेज खाता संख्या 80 पुराना 79 के अनुसार खसरा संख्या 212 रकबा 0.60है0, खसरा संख्या 576 रकबा 1.11है0 जिसमें वादी व प्रतिवादी सं 2 हरिशंकर का नाम बतौर सहखातेदार राजस्व रिकार्ड में अंकित है जिससे उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं 2 हरिशंकर का भी 1/2 हिस्सा निहित है उक्त कृषि भूमि में उसके भी खातेदार अधिकार जुड़े हुए है जिससे उक्त कृषि भूमि का बिना विधिवत बंटवारा किए प्रतिवादी सं 2 के विरूद्ध किसी भी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं समझते है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री पारित किया जावे। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली फैसल शूमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....लाखेरी.....
व इजलास.....श्री कैलाश चन्द गुर्जर(आर0ए0एस).....

बृजमोहन आ0 देवा जाति कुम्हार निवासी ग्राम कांकरागेज हाल निवासी देईखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
—वादी

बनाम

1. दयाचन्द आ0 केदार जाति मीणा निवासी ग्राम कांकरागेज हाल निवासी बड़ाखेड़ा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. हरिशंकर आ0 देवा जाति कुम्हार निवासी पट्रोल पम्प के पास रजोदा रोड़ इटावा जिला कोटा, राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत 188 आर0टी0एक्ट
आदेश 7 नियम 10 जा0दी0
सन् .....

मुकदमा नम्बर 22/दावा/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ..... हमारे.....व हाजिरी .....वादी अधिवक्ता श्री कृष्ण दत्त दाधीच .....मिनजानिब मुद्दई रूबरू..प्रतिवादी सं 1अधिवक्ता श्री राजेन्द्र जैन..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है कि—

वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....
खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 07 सन् 2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

दस्तखत
ओहदा

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।